(149)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6–5–2015–3–एक भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः– **विभागीय जांच में आरोप–पत्रादि की तामीली ई–मेल के माध्यम से किया जाना।**

संदर्भः– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का परिपत्र कमांक एफ–3–2–2013–56, दिनांक 30 मई, 2014

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन राज्य शासन के शासकीय सेवकों के विरुद्ध उनके द्वारा अवचार कृत्यों के लिए विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। उक्त नियमों के नियम 9 में निलम्बन, नियम 14 में मुख्य शास्ति हेतु जांच प्रकिया तथा नियम 16 में लघुशास्ति हेतु जांच प्रकिया के प्रावधान हैं। उक्त नियमों के प्रावधानानुसार निर्धारित समय में आरोप–पत्रादि सहित अन्य आदेश पारित किये जाते हैं।

2– आरोप–पत्रादि की तामीली की जिम्मेदारी सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी की होती है। अनेक वार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि आरोप पत्र समयावधि में तामील नहीं हो पाते हैं। यही स्थिति निलम्बन/बहाली आदेश एवं दण्डादेश आदि में भी निर्मित हो जाती हैं। इससे सम्बन्धित द्वारा निर्धारित समय–सीमा में उत्तर दैना संभव नहीं हो पाता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई–मेल नीति, 2015 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की ई–मेल नीति 2014 जारी कर अधिसूचित की गयी है, जिससे शासकीय ई–मेल से किये गये समस्त शासकीय पत्र–व्यवहार को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गयी है।

3– अतएव मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन जारी किये जाने वाले निलम्बन/बहाली के आदेश, आरोप–पत्रादि सहित दण्डादेश सम्बन्धित शासकीय सेवक को ई–मेल के माध्यम से तामीली कराना सुनिश्चित किया जाए। अतः समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों को उक्त निर्देशों को कडाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग